राजेश कुमार, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 15.09.2014 को एम0जे0सी0/सी0डब्लू0जे0सी0/विभागीय कार्यवाही/सेवान्त लाभ से संबंधी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

एम0जे0सी0/सी0डब्लू0जे0सी0/विभागीय कार्यवाही/सेवान्त लाभ से संबंधी प्रधान लिपिक एवं प्रभारी पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई तथा समीक्षोपरान्त निम्न निदेश दिए गए :–

1. समीक्षा में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि अवमानना वाद से संबंधित 10 मामले समाहरणालय में लंबित हैं। अवमानना वाद से संबंधी प्रतिवेदन में प्रासंगिक सी0डब्लू0जे0सी0 के न्यायादेश का Operative Part अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि अनुपालन हेतु किस पदाधिकारी के स्तर से क्या कार्रवाई अपेक्षित है। आगामी बैठक हेतु प्रतिवेदन में प्रसंगिक सी0डब्लू0जे0सी0 के न्यायादेश का Operative Part निश्चित रूप से अंकित करें। निदेशित किया गया कि अवमाननावाद से संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत् ही कारण–पृच्छा दायर किया जाय। त्वरित रूप से सभी मामलों में न्यायादेश का अनुपालन करते हुए कारण पृच्छा दायर करने का निदेश दिया गया।

2. प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि एस0एल0पी0/एल0पी0ए0 का कोई भी मामला लंबित नहीं है।

3. प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि रिट याचिका से संबंधी 97 मामले लंबित हैं। जिसमें तथ्य विवरणी अप्राप्त है। इतनी अधिक संख्या में रिट याचिका लंबित रहने पर जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी तथा निदेशित किया गया कि त्वरित रूप से प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई की जाय। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 19 मामले में प्रति शपथ पत्र दायर करने हेतु पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। विवरणी अनुलग्नक–क पर अवस्थित है। प्राधिकृत रहने के बावजूद प्रतिशपथ पत्र दायर नही करना घोर लापरवाही है। संबंधित पदाधिकारियों को सचेष्ट रहने का निदेश दिया जाता है।

4. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान सरकारी अधिवक्तागण से प्राप्त पत्रों पर त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कि चिन्ताजनक स्थिति है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ को निदेशित किया गया कि प्राप्त पत्रों पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई करें तथा विधि शाखा में इस हेतु पंजी भी संधारित करायें।

5. जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि विभागीय कार्यवाही के 14 मामला लंबित है। एक मामले में सक्षम न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्रवाई की जानी है। तीन मामले में संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन दिनांक 13.09.14 को प्राप्त हुआ है। 3 मामले में आरोपी से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गई है। बाकी 7 मामलों में संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेशित किया गया कि सभी संचालन पदाधिकारी को शीघ्र निष्पादन हेतु पत्र भेजा जाय।

6. जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि सेवान्त लाभ का कोई भी मामला जिला स्थापना शाखा में लंबित नहीं है। प्रखण्ड/अंचल/ अनुमण्डल स्तर पर सेवान्त लाभ के लंबित मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करने हेतु निदेशित करने का निदेश जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता, पूर्णियाँ को दिया गया।

आगामी साप्ताहिक समीक्षा बैठक दिनांक 22.09.2014 को 10.30 बजे पूर्वा0 में की जायेगी।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ

ज्ञापांक 1725 /स्था0, पूर्णियाँ, दिनांक 18.9.14

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभियकरण, पूर्णियाँ/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/ जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/ मुख्यालय स्थित सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajeev.
18/9/2014
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ